नगर विकास योजना का मूल्यांकन
राजकोट

मार्च 2006

राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान

कोर 4 बी, भारत पर्यावास केन्द्र

लोदी रोड़, नई दिल्ली 110003

किसी प्रकार की शंका होने पर कृपया सुश्री उषा रघुपति से ई मेल से सम्पर्क करें (email:uraghupathi@niua.org)

नगर विकास योजना का मूल्यांकन : राजकोट

राजकोट की नगर विकास योजना (सी डी पी) टूलकिट दिशा निर्देशों के अनुसार है तथा उसका मूल्यांकन भी तदनुसार है।

मूल्यांकन टूलकिट में विहित सी डी पी तैयारी के चार चरणों में अर्थात् वर्त्तमान स्थिति का विश्लेषण, नगर हेतु संकल्पना, कार्यनीतियां व नियमन (इंटरवेंशन) , तथा निवेश योजना में विभक्त है।

कुल मिलाकर सी डी पी सही क्रम में प्रतीत होती है और उसमें वर्तमान स्थिति, संकल्पना, कार्यनीतियाँ व निवेश योजना का सही प्रस्तुतीकरण है। तथापि कुछ अतिरिक्त जानकारी आवश्यक है ताकि सी डी पी को पूर्ण माना जा सके।

वर्त्तमान स्थिति का विश्लेषण

सी डी पी में नगर की पृष्ठभूमि और उसकी जनांकिकी का अच्छा चित्रण है।

1. नगर के उद्योगों की किस्म का जहां ठीक-ठीक उल्लेख है, वहीं किस्म-वार उद्योगों की संख्या, उद्योगों के वर्ष-दर-वर्ष विकास की स्थिति, कामगारों की संख्या (केवल % का उल्लेख) , अनौपचारिक सेक्टर का अनुमानित विस्तार आदि को नहीं दरसाया गया है। इनको दरसाने के बाद सी डी पी से शहर के आर्थिक विकास की पूरी तसवीर उजागर हो जाएगी।

राजकोट नगर निगम :
राजकोट जिले में अभी 69 मझोले और बड़े उद्योग हैं जिनमें से राजकोट में 20 उद्योग हैं जिनमें 287.80 करोड़ रू0 की पूंजी लगी हुई है (डी आई सी रिपोर्ट 2001) , बड़े उद्योग, विभिन्न विलायक द्रवों के कारखाने, इस्पात झलाई/गलन भट्टियाँ, सूती धागे व कपड़ा मिलें, मशीनों के कल-पुर्जे आदि के हैं। छोटे स्तर के 26693 उद्योग हैं, जिनमें से 24000 छोटे उद्योग राजकोट शहर में पंजीकृत हैं, जिनमें 734.52 करोड़ रू0 की पूंजी लगी हुई है। बड़े इंजीनियरी उद्योगों के अन्तर्गत डीजल ऑयल इंजन के कारखाने हैं, जिनमें 50,000 मजदूर काम करते हैं। सी डी पी में अन्य ब्यौरों के लिये कृपया पृष्ठ 13 पर पैरा 2.3.1 देखें। अनौचारिक सेक्टर बाबत कोई प्रामाणिक सर्वे नहीं किया गया है। तथापि अनुमान है कि ऐसी करीब 15,000 इकाइयां हैं, जिनमें, पानवाला, भेल-पूरी, पावभाजी वाला, आइसक्रीम पार्लर, सब्जी विक्रेता, अल्पाहार दूकानें आदि शामिल हैं जिनमें 25,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है।

2. राजकोट नगर निगम की वित्तीय स्थिति का ब्यौरे-वार वर्णन नहीं है। पिछले 5 वर्षों के ब्यौरे जरूरी हैं, ताकि वर्ष दर वर्ष आय और व्यय में वृद्धि की जानकारी मिल सके (ये ब्यौरे अनुलग्नक के रूप में भी दिये जा सकते हैं। जहां राजस्व स्रोतों का कुछ व्याख्याओं के साथ उल्लेख है, वहीं राजस्व व्यय के शीर्षों का विस्तृत उल्लेख नहीं है। इसी प्रकार पूंजीगत व्यय के भी ब्यौरे दिये जा सकते थे, ताकि शहर में गत पांच वर्षों के दौरान शुरू की गई परियोजनाओं की किस्म-कोटि को समझने में मदद मिलती ।

राजकोट नगर निगम :
राजस्व आय, पूंजी आय तथा राजस्व खर्च व पूंजी खर्च के ब्यौरे सी डी पी में शामिल कर दिये गये हैं। अतिरिक्त सूचना अनुलग्नक 3 से 8 में दी गई है।

3. भू-उपयोग और भूमि-उपलब्धता का विश्लेषण काफी है। आवास स्टाक की जानकारी काफी नहीं है, जिससे सही आवास स्थिति का पता चलता। साथ ही जर्जर मकानात, यदि हैं, तो उनका ब्यौरा भी दिया जाए।

राजकोट नगर निगम :
राजकोट एक विकासशील शहर है। पुराने शहरी इलाके के अधिकांश मकानों की जगह नए वाणिज्यिक परिसर और भवन खड़े हो गए हैं, शहर में जमीन की कीमतें जेट गति से बढ़ रही हैं, जिससे लोग अपने पुराने मकानों की तोड़ कर उन्हें कम ऊँचे मकानों, गगन चुम्बी इमारतों और/या वाणिज्यिक-सह-रिहायशी इमारतों में तब्दील कर रहे हैं। वर्ष 2001 के भूकम्प ने भी पुरानी इमारतों की जगह नए मकानों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। कर के लिए सम्पत्तियों के नए आकलन में बढ़ोतरी, स्वीकृत भवन-नक्शों की संख्या, यानी गणना में इज़ाफे से भी नए मकानों की मांग में वृद्धि को जन्म दिया है। तथापि इस बारे में आगे के पैरा में तसवीर और अधिक उजागर होती है।

नगर नियोजन पर आवास सेक्टर और विनियमन व्यवस्था के अत्याधिक प्रभाव के बाबजूद, शहरी स्थानीय शासन आवास निर्माण को अपना अनिवार्य कर्त्तव्य नहीं मानता। यों आवास निर्माण गतिविधि किसी शहरी नीति में अर्थव्यवस्था और जीवन की गुणवत्ता की परिचायक होती है। घटिया नगर नियोजन व्यवस्था से स्लमों की भरमार तथा अवैध निर्माणों को बढ़ावा मिलता है। यद्यपि भवन निर्माण गतिविधियों के प्रोत्साहन, निर्देशन और नियंत्रण के लिये एक व्यापक नियामक तंत्र है, किन्तु प्राय: यह दावा किया जाता है कि विनियमन प्रक्रियाएं काफी नियंत्रणकारी तथा पालन में कठोर हैं। विनियमन तंत्र में ऐसी कट्टरता से आवास निर्माण का दायरा सीमित हो जाता है। अनौपचारिक रूप से तकरीबन 25 से 28 प्रतिशत मकानों का निर्माण आवश्यक अनुमति या मंजूरी प्राप्त किए बिना हो रहा है। एक ओर तो अनेक वित्तीय संस्थाओं तथा सरकारी प्रोत्साहन से आवास सेक्टर के विकास को प्रोत्साहन मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर विनियमन तंत्र आवास विकास के लिए कई प्रकार की जटिलताएं पैदा कर रहा है। अत: यह आवश्यक है कि एक वृहत्तर शहर के लिये आवास नीति बनायी जाए तथा स्लमों और अवैध निर्माणों को हतोत्साहित किया जाए।

ऊपर के उल्लेख के अनुसार, शहर की 51.34 प्रतिशत जमीन रिहायशी प्रयोजन के लिये आरक्षित है। इसमें से 80 प्रतिशत जमीन विकसित की जा रही है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार औसत परिवार आकार 5.64 व्यक्ति का है, तथा राजकोट नगर निगम की टैक्स ब्रांच रिपोर्ट के अनुसार कुल रिहायशी मकानों की संख्या 1,65,000 है, जिससे जाहिर है कि 40,000 मकानों की और जरूरत है।

यह देखा गया है कि शहर के आवास स्टाक में हर साल 5000 रिहायशी मकान जुड़ रहे हैं। इसके विपरीत, मकान निर्माण की अनुमति के लिए नगर निगम को प्राप्त आवेदनों की संख्या मात्र 1600 है। लेकिन आवास निर्माण की अनुमति हेतु असंख्य आवेदन एक से अधिक आवासों वाली बहुमंजिली इमारतों के लिये होते हैं। इन आधारों से यह अनुमान लगाया गया है कि करीबी आधे रिहायशी मकानों का निर्माण नगर नियोजन के ताने बाने से बाहर हो रहा है। राजकोट शहर में मकान निर्माण की अनुमति गुजराज नगर नियोजन और नगर विकास अधिनियम, 1976 के तहत निर्मित जनरल डेवलपमेंट कंट्रोल रेगूलेशन (मार्च, 2003 में यथा संशोधित) में विहित विनियमनों के अनुसार दी जाती है।

तालिका 2.14 - आवास स्टाक व मांग

वर्ष	*विकसित भूमि (हैक्टर)*	*प्रयुक्त अविकसित व अल्प-विकसित भूमि (हैक्टर)*
2001/02	*7744.843*	*2740.922*
2002/03	*7894.843*	*2591.157*
2003/04	*8052.740*	*2433.000*
2004/05	*8213.795*	*2272.205*

अनुमान है कि कुल निर्मित मकानों में से निम्न आय वर्ग (एल आई जी) समूहों के 75 प्रतिशत से अधिक रिहायशी मकान मध्यम आय वर्ग (एम आई ज़ी) समूहों के 55 प्रतिशत मकान तथा उच्च आय वर्ग (एच आई ज़ी) के 25 प्रतिशत मकान बिना निर्माण अनुमति के बने हैं।

4. सी डी पी में शहरी गरीबों व स्लमवासियों की संख्या तथा उनकी आवास स्थिति दी गई है। शहरी गरीबों, बुनियादी सेवाओं में उनकी पहुँच, आदि का अधिक ब्यौरे-वार उल्लेख किया जाना चाहिये।

राजकोट नगर निगम :

शहरीकरण की सतत प्रक्रिया तथा तेज औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप, राजकोट शहर की आबादी 1951 में 1,32,000 से बढ़कर 2001 में, 10,02,000 हो गयी, अर्थात् 5 दशकों में उसमें 759 प्रतिशत वृद्धि हुई। आबादी में तो दिन दूनी और रात चौगुनी वृद्धि हुई किन्तु उसके अनुपात में आवास सुविधाओं के प्रावधान में तदनुसार वृद्धि नहीं हुई। आवास सुविधाओं की कमी ने स्लमों को जन्म दिया। इस समय राजकोट नगर निगम की सीमा के अन्तर्गत 84 (74 मान्य + 10

अमान्य) स्लम बस्तियों हैं, जिनकी आबादी करीब 2,02,371 है। राजकोट में स्लमों की वृद्धि दर शहर की 1972-73 की वृद्धि दर से भी अधिक है। राजकोट में 1972-73 में केवल 24 स्लम बस्तियां थीं, जिनमें 4,927 परिवार रहते थे। अब, 44,914 परिवारों की 84 स्लम बस्तियां हैं। इससे जाहिर है कि मात्र तीस वर्ष की अवधि में स्लम आबादी में 468 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राजकोट में इस समय स्लम आबादी 2,02,380 से अधिक और कुल आबादी 10 लाख से अधिक है, इसका मतलब है कि राजकोट की करीब 20 प्रतिशत आबादी स्लम क्षेत्र में रहती है।

स्लम-आवास

अधिकतर स्लम आबादी पक्के मकानों या आधे पक्के मकानों में रहती है। केवल 1.15 स्लम आबादी कच्ची (अस्थायी) सामग्री से बनी झोंपड़ियों में रहती है। इससे जाहिर है कि राजकोट के स्लमों में, स्लमों की सामान्य तसवीर की तुलना में बेहतर आवास हैं। ऐसे मकान में एक बहु-प्रयोजन कमरा, किचन और वरांडा होता है। छतें स्थानीय टाइलों या पहले से ढाले गये स्लैबों की होती हैं।

स्लम आवासों की कोटि		
घरों का टाइप	संख्या	प्रतिशत (कुल में)
अस्थायी (कच्चा)	513	1.15
आधे पक्के मकान	31971	71.18
पक्के मकान	12430	27.67
कुल	44914	100

जैसा कि ऊपर की तालिका से जाहिर है,राजकोट में 71.18 प्रतिशत स्लम कुटीर (हटमेंटस्) आधी पक्की या कच्ची सामग्री के बने है।

राजकोट नगर निगम की ई डब्लयू एस आवास स्कीमें

राजकोट नगर निगम का शहरी गरीबों के लिये कम लागत की मकान निर्माण परियोजनाएं शुरु करने का कार्यक्रम है। नगर निगम ने शहरी गरीबों के लिये हर साल कम से कम 1000 मकान बनाने का लक्ष्य रखा है तथा वह लक्ष्य वर्ष 2000 से हासिल कर रहा है। उसने अब तक 5600 मकान बनाए हैं। राजकोट नगर निगम ने वर्ष 2006-07 में शहरी गरीबों के लिये खासतौर पर 2000 से अधिक ई डब्लयू एस और वैम्बे (वाल्मीकि-अम्बेडकर आवास योजना) के आवास निर्माण की योजना बनाई है।

इस प्रयोजन से नगर नियोजन स्कीम में ई डब्लयू एस आवास हेतु आरक्षित जमीन का इस्तेमाल किया जाता है। प्रत्येक मकान 25 वर्गमीटर का है तथा लागत करीब 72,000 रू0 है, जिसमें आधार ढांचा सुविधाओं (इन्फ्रास्ट्रक्चर) की लागत शामिल नहीं है।

स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत, राज्य सरकार के कहने पर, यूनाइटेड रिसर्च आर्गेनाइजेशन को सर्वे का काम सौंपा गया था। बड़ोदरा स्थित इस गैर सरकारी संगठन ने

शहरी बुनियादी सेवाओं में शहरी गरीबों की पहुँच की स्थिति का पता लगाने के लिये वर्ष 2002 में विशेष सर्वे किया था। सर्वे के निष्कर्ष सी डी पी के पेज़ 12 पर पैरा 2.2.7 में हैं। अन्य सूचना इस प्रकार है:-

- *राजकोट नगर निगम पूरे अधिसूचित क्षेत्र के निवासियों को साझा सामुदायिक हैन्ड पम्पों, या जल पाइपों के जरिये व्यक्तिगत नल-कनेक्शन तथा कहीं-कहीं टैंकरों के जरिये पानी देने की व्यवस्था करता है। टैंकरों और सामुदायिक नलकों से पानी के लिये कोई पैसा नहीं लिया जाता।*
- *नगर निगम ने टैंकरों और सामुदायिक नलकों से पानी की आपूर्ति वाले ऐसे स्थानों की पहचान कर ली है, जहाँ पानी की पाइप लाइनें बिछाई जाएंगी और तदनंतर प्रत्येक घर में पानी के कनेक्शन दिये जाएगें तथा टैंकर व हैण्ड पम्प व्यवस्था खत्म कर दी जाएगी।*
- *ऐसे स्थलों के लिये योजनाएं व आकलन तैयार किये जा रहे हैं और पाइप बिछाने का काम शीघ्र शुरू कर दिया जाएगा। स्थलों के अलग-अलग छितरे होने तथा ऊँचाई पर होने के कारण, सिस्टम डिज़ाइन में काफी समय लगता है। फिर भी यह काम मार्च 2008 तक पूरा कर लिया जाएगा।*
- *सभी अधिसूचित स्लमबस्तियों को भूमिगत पानी निकासी प्रणाली तथा कचरा निपटानी प्रणाली से जोड़ने के लिये स्लम नेटवर्क कार्यक्रम का निर्धारण किया गया है और इसे मार्च 2008 को या उससे पूर्व चालू कर लिया जाएगा।*
- *नगर निगम प्रायमरी शिक्षा और स्वास्थ्य केन्द्रों की मार्फत करीब 90 प्रतिशत स्लम आबादी को शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर रहा है तथा शेष 10 प्रतिशत स्लम आबादी को ये सुविधायें रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हैल्थ केयर (आर सी एच) कार्यक्रम के तहत 9 स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 14 नए स्कूलों के निर्माण के बाद सुलभ कर दी जाएंगी।*

5. आधार-सुविधा तंत्र (इन्फ्रास्ट्रक्चर) का वर्णन व्यापक और अच्छा है। जहाँ लागत और वसूली पहलुओं पर ध्यान दिया गया है, वहीं इन सेवाओं के वित्तीय पहलुओं के अधिक विस्तृत विश्लेषण से इन सेवाओं को बेहतर समझने में सुविधा होगी। प्रत्येक आधार-सुविधा सेवा के बारे में शक्तता-अशक्तता-संयोग-दुर्योग (एस डब्लयू ओ टी) यानी गुण-दोष विश्लेषण दिया गया है जो बहुत उपयोगी है। किन्तु इस खंड के अर्न्तगत पिछले कुछ वर्षों में इन्फ्रास्ट्रक्चर (आधार-सुविधा तंत्र) में पूंजी निवेश का उल्लेख नहीं है।

राजकोट नगर निगम :

विगत 7 वर्षों के दौरान पूंजी निवेश व्यय यहां अनुलग्नक 3 के रूप में है जो सी डी पी के साथ भी संलग्न है।

सी डी पी में सामाजिक सुविधा तंत्र यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, अग्निशमन व आपात सेवाओं तथा आपदा प्रबंधन का भी समावेश है, जिससे सी डी पी अधिक व्यापक बन पड़ी है, किन्तु इन पहलुओं कें लिये शहरी कायाकल्प अभियान से धन नहीं मिलेगा।

6. सूरत नगर निगम जहां शहर में अधिकांश सेवाएं सुलभ कराने के लिए जिम्मेदार है, वहीं निगम क्षेत्र व शहर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में कतिपय सेवाओं के लिये जिम्मेदार अन्य संस्थाओं का भी हवाला दिया जाना चाहिये था ताकि ओवरलैपिंग कार्यों की पहचान हो जाती। सड़कों और पुलों की निर्माता एजेंसियों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये था(क्योंकि सी आई पी में इन दोनों मुद्दों के लिये अधिक धन मांगा गया है) । राजकोट पहला शहर है जिसने सेवाओं की प्रदायगी में प्रायवेट सेक्टर को भी लगाया है लेकिन प्रायवेट सेक्टर की इन भूमिकाओं का सी डी पी में उल्लेख नहीं है।

राजकोट नगर निगमः

संस्थाई जिम्मेदारी मैट्रिक्स आगे दी गई है।

संस्थाई जिम्मेदारी मैट्रिक्स

क्र. सं.	***सेक्टर***	***प्रदाता एजेंसी (प्रदाता एजेंसी से भिन्न होने पर अन्य एजेंसी)***	
		प्रदायन	***परिचालन व अनुरक्षण***
1	*जल आपूर्ति*	*आर एम सी (राजकोट नगर निगम)*	*आर एम सी (राजकोट नगर निगम)*
2	*पेय जल वितरण (झीलों/नदी आदि सहित)*	*आर एम सी*	*आर एम सी*
3	*सीवरेज (अपजल निकासी)*	*आर एम सी*	*आर एम सी*
4	*सड़कें*	*आर एम सी*	*आर एम सी*
5	*पथ प्रकाश*	*आर एम सी*	*आर एम सी*
6	*कचरा निपटान*	*आर एम सी*	*आर एम सी*
7	*स्वास्थ्य*	*आर एम सी व राज्य सरकार*	*आर एम सी व राज्य सरकार*
8	*शिक्षा - प्रायमरी*	*आर एम सी*	*आर एम सी*
9	*अग्निशमन व आपात्कालीन सेवाएं*	*आर एम सी*	*आर एम सी*
10	*पार्क व खेल मैदान*	*आर एम सी*	*आर एम सी*
11	*आपदा प्रबंधन*	*आर एम सी*	*आर एम सी*
12	*ट्रैफिक व्यवस्था*	*आर एम सी व राज्य सरकार*	*आर एम सी व राज्य सरकार*
13	*परिवहन*	*राज्य सरकार*	*राज्य सरकार*

आर एम सी - राजकोट नगर निगम

वर्तमान पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के ब्यौरे आगे दिए गए है।

राजकोट में प्रचलित पब्लिक-प्रायवेट पार्टनरशिप

क्र.सं.	***सेक्टर***	***पी पी पी प्रोजेक्ट/संक्षिप्त विवरण सहित***

1	जल आपूर्ति	▪ वितरण लाइनों का रखरखाव ▪ मुख्य आपूर्ति पाइपों का रखरखाव ▪ जलशोधन संयंत्र का परिचालन व अनुरक्षण ▪ 12 में से 3 पम्प घर, पानी में क्लोरीन डालने सहित ▪ 3 वार्डो (कुल 35 वर्ग कि.मी. क्षेत्र) में परिचालन व वितरण व्यवस्था ▪ पम्प सेटों का चालन व अनुरक्षण
2	पेय जल वितरण (झीलों/नदी आदि सहित)	
3	सीवरेज	▪ सीवरेज शोधन संयंत्र परिचालन व अनुरक्षणः क्षमता 44.5 मि0 ली0 दैनिक ▪ 7 पम्प घरों का परिचालन व अनुरक्षण ▪ सीवरेजों का परिचालन व अनुरक्षण, शिकायत निवारण व्यवस्था।
4	सड़कें	▪ सड़कों का रखरखाव ▪ फुटपाथ व पथ प्रकाश - ठेका आधार पर
5	पथ प्रकाश	▪ 23 वार्डो में से 13 वार्डों में पथ प्रकाश की व्यवस्था व देखभाल जहां 33000 पथ प्रकाश बत्तियों में से 23000 बत्तियां लगाई जाएँगी तथा केन्द्रीय रूप से सोडियम लाइट व ऊंचे मस्तूल होंगे।
6	कचरा निपटान/सफाई	▪ प्रारंभिक कचरा निपटान (संग्रह) शुरू में 23 वार्डों में से 5 वार्डों में अंशत: (करीब 20 प्रतिशत) ▪ मध्यवर्ती कचरा निपटान व्यवस्था (कचरा ढुलाई) - 23 वार्डों में से 17 वार्डों में से ढुलाई स्थल व कचरा प्रसाधन संयंत्र सहित ▪ समापन कचरा निपटान (कचरा छंटाई) - इस विशाल छंटाई संयंत्र की क्षमता 350 मी.टन/दैनिक है ▪ सामुदायिक शौचालय ब्लाकों को चालू करना समूल्य शौचालय (125) ▪ आवारा पशुओं की धर-पकड़ ▪ मृत पशुओं का निपटान

		▪ *छोटे (सेस पूल) टैंकरों का परिचालन*
7	*स्वास्थ्य*	▪ *आर पी एच हैल्थ सेंटरों का चालन व रखरखाव* ▪ *आंगनवाडी, बालवाड़ी* ▪ *दो चल औषधालय* ▪ *सात शवदाह गृह (एन जी ओ द्वारा चालित 3 विद्युत शव दाहगृहों सहित)*
8	*शिक्षा*	-
9	*अग्निशमन*	-
10	*पार्क व खेल मैदान*	▪ *सभी पार्कों व उद्यानों का रख रखाव* ▪ *चार सर्किल/ट्रैफिक स्थल औद्योगिक वाणिज्यिक व संस्थाई इकाइयों द्वारा विकसित व अनुरक्षित* ▪ *सामाजिक वानिकी प्रोग्राम के तहत 18 प्लॉट औद्योगिक वाणिज्यिक व संस्थाई इकाइयों द्वारा विकसित व संचालित*
11	*सामाजिक सुविधा तंत्र*	▪ *सामुदायिक भवनों का रखरखाव* ▪ *सांइस सेंटर, कम्प्यूटर सेंटरों, लाइब्रेरी, कृत्रिम ताराघर (प्लेनीटोरियम)का रख रखाव*

म्यूनिसिपल सेवाओं के निजीकरण का ब्यौरा यहां अनुलग्नक 9 में है।

वर्तमान स्थिति विश्लेषण में 10 मानचित्र हैं, जो विभिन्न पहलुओं पर विशद सूचना देते हैं।

संकल्पना

सी डी पी के अनुसार, राजकोट नगर के लिये संकल्पना की कवायद अनगिनत परामर्शों के साथ 1998 में शुरू हुई। हितवद्धों पक्षों के साथ परामर्श (विचार विनिमय) वर्ष 2002 में हुआ तथा इन परामर्शों के फलस्वरूप जो विचार उभर कर आए उनके आधार पर, जनवरी 2003 में नगर विकास नीति का स्वरूप तय किया गया।

7. राजकोट नगर निगम ने परामर्श 2002 में किये किन्तु इससे यह जाहिर नहीं होता कि परामर्श प्रक्रिया में सभी हितबद्ध पक्षों (सभी आय वर्गों के लोगों और भौगोलिक क्षेत्रों के प्रतिनिधियों) ने भाग लिया। यह भी स्पष्ट नहीं है कि परामर्श प्रक्रिया में गरीबों के प्रतिनिधि भी शामिल थे और उनका क्या दृष्टिकोण था ?

राजकोट नगर निगम :

परामर्श प्रक्रिया में वस्तुत: सभी आय वर्गों और भौगोलिक क्षेत्रों के प्रतिनिधि हितबद्धों ने भाग लिया था। शहरी गरीबों के प्रतिनिधि गरीब इलाकों की प्रतिवेश समितियों (नेबर हुड कमेटी) के रूप में शामिल थे। सी डी पी के अंश स्वरूप उनकी राय वर्ष 2003 में ली गई।

इसका उल्लेख अध्याय 3, पैरा 3.1 व 3.2 में है। अधिक ब्यौरे अनुलग्नक 1 व 2 के रूप में हैं। संकल्पना सेक्टर-वार है। संकल्पना (विज़न) विवरण भले ही अच्छी तरह तैयार न किया गया हो, लेकिन संकल्पना और लक्ष्य तालिका संकल्पना के मोटे-मोटे विवरण की झलक अवश्य देती है।

संकल्पना खंड में सुधार-एजेन्डा पर भी चर्चा है और उससे संकेत मिलता है कि शहरी कायाकल्प अभियान में प्रवर्तन के लिये अपेक्षित अनेक सुधारों पर शहर में पहले से अमल हो रहा है।

कार्यनीतियां

कार्यनीतियों का खाका ठीक से तैयार किया गया है जिसमें शुरू की जाने वाली विभिन्न परियोजनाएं सुधार, परिणाम, प्रतिफल व आदान-साधनों के साथ-साथ प्रत्येक सेवा के बारे में परिचालन योजना (जिसमें मुद्दे, नीति, कार्रवाई तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा संस्थाई प्रबंध समाविष्ट हैं) शामिल हैं। सी डी पी में स्लम सुधार का घटक अलग से है और उसमें कार्यान्वयन हेतु प्रस्तावित परियोजनाओं का उल्लेख है।
कार्यनीतियां तथा मार्गदर्शन शहर की समस्याओं और नगर-संकल्पना के अनुरूप हैं।

पूंजी निवेश योजना

नगर विकास नीति के लिये पूंजी निवेश कार्यक्रम इस सी डी पी हेतु नगर निवेश योजना के रूप में है।

इस खंड में नगर निवेश योजना के कार्यकरण, प्रक्रिया बहुवर्षीय निवेश कार्यक्रम का आधार दिया गया है। पूंजीगत निर्माण के वित्तपोषण हेतु कुल पूंजी राशि की जरूरत 763.74 करोड़ रू0 प्रायोजित की गई है। केन्द्र सरकार से 425.0 करोड़ रू0 की राशि मांगी गई है।

वित्त पोषण पैटर्न अर्थात् राजस्व, ऋण एवं अनुदान राशि आदि के ब्यौरे पूंजी निवेश योजना खंड की तालिकाओं में हैं। ये पर्याप्त प्रतीत होते हैं। तथापि यदि किन्हीं राजस्व आमद स्रोतों में कोई परिवर्तन है तो राजस्व के प्रायोजनों में परिवर्तन करना होगा। वैकल्पिक राजस्व परिदृश्य (जैसे चुंगी सहित या चुंगी रहित) भी दिया जाना चाहिये था ताकि यह ज्ञात हो सके कि चुंगी की समाप्ति से राजस्व आमद पर क्या असर पड़ता तथा राजस्व के इस मुख्य स्रोत की हानि की भरपायी के लिये क्या नीति अपनायी जाएगी।

8. चूंकि राजकोट नगर निगम बजट में विगत पांच वर्षों के आय-व्यय के विस्तृत आंकडें नहीं दिये गये हैं। अतः यह स्पष्ट नहीं होता कि आय-व्यय के प्रायोजन किस प्रकार निकाले गये।

राजकोट नगर निगम :

चुंगी की समाप्ति का आशातीत राजस्व आमद पर निश्चय ही विपरीत असर पड़ेगा। लेकिन उसकी क्षतिपूर्ति किसी न किसी विकल्प की मार्फत राज्य सरकार द्वारा की जा सकती है। ये विकल्प निम्नलिखित में से कोई भी हो सकता है - (1) बिक्री कर पर नगर सरचार्ज लगाना, जिसमें घोषित माल पर सरचार्ज की अनुमति देना, (2) राज्यव्यापी प्रवेश शुल्क, (3) राज्य सरकार से अनुदान। शहरी स्थानीय विकास के सामने एक ही समस्या रह जाएगी, जो उसकी वित्तीय आजादी को सीमित करने की होगी।

दूसरा विकल्प हैदराबाद माडल पर गैर-पारंपरिक आय स्रोतों का होगा। सच यह है कि राजकोट नगर निगम ने पहले ही जल उपकर, जल निकासी उपकर, केबुल टी वी कर आदि के गैर-पारंपरिक राजस्व स्रोत प्रस्ताव पर सोचना शुरू कर दिया है। नगर निगम की साधारण सभा द्वारा वर्ष 2006-07 के लिये स्वीकार न किये जाने के बावजूद, गैर पारंपरिक राजस्व स्रोतों के लिये वित्तीय आजादी हितबद्ध पक्षों के बीच पहले ही चर्चा का विषय बन चुकी है। चुंगी की समाप्ति की स्थिति में, वित्तीय आजादी हासिल करने का एक मात्र उपाय सम्पत्ति कर जैसे पारंपरिक स्रोतों से अधिक उगाही के साथ-साथ गैर पारंपरिक राजस्व स्रोतों का ही है।

नगर निवेश योजना अनुलग्नक-10 में है।

राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान : अब सी डी पी शहरी कायाकल्प अभियान के टूलकिट-2 के अनुसार है।